

उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन एवं नियामक (संशोधन) अधिनियम-2016 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं०-24, वर्ष 2013) के अधीन उत्तराखण्ड जल संसाधन प्रबन्धन और नियामक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन का प्रारूप।

उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन एवं नियामक अधिनियम-2013 दिनांक 01.09.2015 से लागू/प्रवृत्त है। उक्त मूल अधिनियम का संशोधन यथा उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक (संशोधन अधिनियम-2016) दिनांक 31.03.2016 से प्रभावी है। उत्तराखण्ड जल संसाधन प्रबन्धन और नियामक आयोग की स्थापना दिनांक 08 जुलाई, 2016 से की गयी है।

उक्त अधिनियम में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य के भीतर जल संसाधन को विनियमित करने, विवेकपूर्ण और पोषणीय प्रबन्धन, पर्यावरण एवं आर्थिक दृष्टि से पोषणीय राज्य के विकास हेतु जल संसाधन के आवंटन और अनुकूलतम उपयोग को सुगम बनाने एवं सुनिश्चित करने, कृषि, औद्योगिक, पेय, विद्युत और अन्य प्रयोजन के लिये राज्य जल नीति के अनुसार उपयुक्त नियामक उपकरणों के माध्यम से जल उपयोग हेतु प्रभार अवधारित करने एवं लाभान्वित भू-स्वामियों के बाढ़ रक्षा एवं जल निकास संकर्म द्वारा लाभान्वित भूमि पर उपकरण की दर निर्धारण करने के लिए उत्तराखण्ड जल संसाधन प्रबन्धन और नियामक आयोग की स्थापना का प्राविधान है। यही आयोग 'उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जलकर (संशोधन अधिनियम, 2016 की धारा 26(1) में उल्लिखित कार्यों का भी निष्पादन करेगा।

उत्तराखण्ड सरकार उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन एवं नियामक संशोधन अधिनियम-2016 की धारा 3(4) के अन्तर्गत प्रस्तर-4 में दिये गये विवरण के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करना चाहती है। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन एवं नियामक (संशोधन) अधिनियम 2016 की धारा-6 की उपधारा-1 के अधीन एक चयन समिति का गठन किया गया है। सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन के द्वारा चयन समिति की तरफ से अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद पर नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

2- अध्यक्ष एवं सदस्यों हेतु अर्हता निम्नानुसार होगी:-

ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जायेगा जो निम्नलिखित पात्रता रखते हैं :-

क्र०सं०	पद नाम	पदों की संख्या	अर्हता
1	अध्यक्ष	एक	अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पास न्यूनतम 25 वर्ष के प्रशासनिक अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान की स्नातक की उपाधि हो और उसने राज्य सरकार के मुख्य सचिव या भारत सरकार के सचिव का पद या उसके समकक्ष कोई पद अवश्य धारण किया हो और जल संसाधन से सम्बन्धित विभागों का अनुभव रखता हो :

2	सदस्य	दो	आयोग के सदस्य योग्य, सत्यनिष्ठ और अनुभवी होंगे जिन्होंने इंजीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, विधि प्रशासन व प्रबन्धन से सम्बन्धित कठिनाई का पर्याप्त ज्ञान या अनुभव हो या जिन्होंने इस कठिनाई से निपटने की क्षमता प्रदर्शित की हो। परन्तु यह कि ऐसे सदस्यों में से न्यूनतम एक सदस्य जो मुख्य अभियन्ता स्तर के श्रेणी से नीचे का पद धारण न करता हो अथवा इसके समकक्ष जल विद्युत इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अर्हता और 25 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।
---	-------	----	--

- 2.1 अध्यक्ष या कोई सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा/करेगी,
- 2.2 वह अपने कार्यकाल के दौरान कोई अन्य पद धारित नहीं करेगा/करेगी।
- 2.3 अध्यक्ष एवं सदस्य की पदावधि उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक अधिनियम 2013 की धारा-7 के अनुसार होगी।

3- उपरोक्त के क्रम में पूर्ण आवेदन पत्र सचिव, सिंचाई उत्तराखण्ड सरकार पदेन सदस्य सचिव, चयन समिति उत्तराखण्ड जल संसाधन प्रबन्धन और नियामक आयोग के नाम संबोधित किया जायेगा।

3.1 आवेदन पत्र में निम्नलिखित सूचना एवं संगत अभिलेख संलग्न कर प्रेषित करने होंगे :-

- (1) नाम-
- (2) जन्म तिथि, जन्म स्थान और अधिनियम प्रवृत्त होने की तिथि को आयु।
- (3) वर्तमान में धारित पद या सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद या अन्य विवरण।
- (4) शैक्षिक योग्यता।
- (5) अनुभव का विवरण।
- (5) पूर्व में धारित पदों का पदावधि सहित विवरण।
- (6) अनुशासनिक कार्यवाही/सतर्कता जांच/अभियोजन यदि कोई हो तो उसका विवरण।
- (7) ऐसा कोई व्यक्ति जिसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में चयन के लिये विचार किया जाय, चयन समिति को निम्नलिखित के सम्बन्ध में अनिवार्य रूप से सूचित करेगा:-

(क) निम्नलिखित में से किसी व्यवसाय को कर रहे किसी कार्यालय, नियोजन या परामर्शदात्री अनुबन्ध या व्यवस्था का जो उस व्यक्ति या उसके नातेदार के नाम से हो या उनमें से किसी के स्वामित्व में या अन्यथा नियंत्रण में किसी फर्म, व्यक्तियों के संघ या निगमित निकाय के नाम/माध्यम से करता हो :-

(एक) भू-जल अपयोजन, जल वितरण, भू-जल का निकाला जाना या जल सम्भरण।

(दो) जल उद्योग से सम्बन्धित मशीनरी, संयंत्र, उपस्कर, उपकरण या उनका संव्यवहार।

(तीन) उपर्युक्त खण्ड (एक) और (दो) में निर्दिष्ट किसी कारबार के लिये कोई व्यवसायिक सेवायें उपलब्ध कराने वाली कोई ईकाई।

(ख) ऐसे अन्य विवरण और सूचना जैसा कि चयन समिति द्वारा विहित किया जाय।

(8) पत्र व्यवहार का पता/दूरभाष संख्या/मोबाईल नं०/ई-मेल आदि।

3.2 यदि अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में नियुक्ति किये जाने वाला कोई व्यक्ति राज्य या केन्द्र सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के निगम या किसी सरकारी निकाय के अधीन कोई पद धारण करता है या वह किसी अन्य व्यक्ति, सरकारी, प्राधिकरणों, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र या अन्यथा द्वारा लाभपूर्वक सेवा में नियोजित किया गया या लगाया गया हो तो वह प्राधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उस सेवा से अपना त्याग पत्र प्रस्तुत कर देगा या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त कर लेगा।

3.3 किसी कार्यालय नियोजन या परामर्शदात्री अनुबन्ध या व्यवस्था जो सतही जल अपयोजना, जल वितरण, भू-जल का निकाला जाना या सम्भरण जल उद्योग से सम्बन्धित मशीनरी, संयंत्र, उपस्कर, उपकरण या साज-सज्जों का विनिर्माण, विक्रय, पट्टा, भाडा या उनकी आपूर्ति या उनका समव्यवहार आदि जो उसके या उसके किसी नातेदार के नाम से हो या उनमें से किसी के स्वामित्व में या किसी फर्म के नियंत्रण में हो का विस्तृत विवरण पत्र द्वारा देना होगा।

4- कोई सूचना या तथ्य न छिपाये जाने की घोषणा:-

उपरोक्त निर्दिष्ट विस्तृत विवरण एवं बायोडाटा के साथ सचिव, सिंचाई, उत्तराखण्ड शासन/को सम्बोधित आवेदन-पत्र ई-मेल आईडी hodcamp.id@gmail.com पर दिनांक 10/07/24 तक प्राप्त हो जाने चाहिए। डाक एवं अन्य माध्यम से प्रेषित आवेदन-पत्रों को प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, माधो सिंह भण्डारी भवन, यमुना कॉलोनी, देहरादून के पते पर प्रेषित किया जाना होगा। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

Signed by Garima Ronkali
Date: 31-05-2024 14:23:23

(गरिमा रौकली)
अपर सचिव,